

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

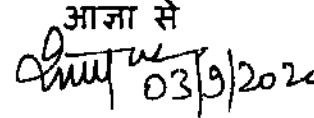
आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1617 /2020 दिनांक : 04.09.2020

श्रीमती लतिका दीपक पाराशर (RJ0634), विशिष्ट अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट प्रकरण), कोटा को दिनांक 04.08.2020 से 07.08.2020 तक 04 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 01.08.2020 से 03.08.2020 एवं 08.08.2020 से 09.08.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्रीमती पाराशर की अनुपस्थिति में अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण), कोटा ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट प्रकरण), कोटा के पद पर ही की गई ।

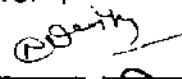
आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/01/2011/3664

दिनांक : 04.09.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा को उनके पत्रांक 2452 दिनांक 10.08.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती लतिका दीपक पाराशर (RJ0634), विशिष्ट अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट प्रकरण), कोटा ।
4. विशिष्ट अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट प्रकरण), कोटा ।
5. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण), कोटा ।


सहायक रजिस्ट्रार